सं.17011/8/07-स्था.(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विवाचक के रूप में कार्य करने और इस हेतु फीस/मानदेय प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को अनुमति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.9.1981 के का.ज्ञा.सं.17011/21/79-स्था.(भत्ता) का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार और निजी पक्षों के बीच अथवा निजी पक्षों के बीच विवादों में विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी को मानदेय/फीस की मंजूरी संबंधी मामले पर, मूल्यों में कई गुना वृद्धि के संबंध में दरों, जिन्हें आद्य रूप में 1981 में विनिर्धारित किया गया था, के ऊर्ध्वमुखी संशोधन की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराने के मद्देनजर, समीक्षा की गई है । अब दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के का.ज्ञा. सं. 17011/21/79-स्था.(भत्ता) के आंशिक आशोधन में यह निर्णय किया गया है कि मानदेय प्रति मामला 10,000/-रू0(केवल दस हजार रूपए) अधिकतम की शर्त के अध्यधीन, प्रति दिवस 500/-रू0 (केवल पॉच सौ रूपए) की दर से विवादों के व्यवस्थापन हेतु विवाचक को अदा किया जा सकता है । तद्नुसार दिनांक 29.9.1981 का उपर्युक्त का.ज्ञा. निम्नानुसार आशोधित किया जाएगा :-

"मानदेय प्रति मामला 10,000/-रू0 अधिकतम की शर्त के अध्यधीन प्रति दिवस 500/-रू0 अथवा प्रति अर्द्ध-दिवस 250/- रू0 की दर से उसे अदा किया जा सकता है । इस उद्देश्य से एक दिवस से तात्पर्य है किसी भी दिन लगातार दो घण्टों से अधिक कार्य और अर्द्ध-दिवस से तात्पर्य दो घण्टे अथवा उससे कम का कार्य । वह लिखित एक प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा जिसमें दर्शाया गया हो कि किसी विशेष दिवस पर उसने एक दिवस का कार्य अथवा अर्द्ध-दिवस का कार्य किया है । "

2. इसे वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किया जाता है ।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले कार्मिकों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के उपरांत जारी किए जाएंगे ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर.नाकरा)

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।

सं.17011/8/2007-स्था.(भत्ता), नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय/ महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्दीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग ।
3. सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र ।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
5. सचिव, जे सी एम(कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. जे सी एम/विभागीय परिषद् की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग(ई.II(बी)शाखा) ।
9. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस का.ज्ञा. को website. persmin.nic.in<allowance पर डालने के अनुरोध सहित प्रतिलिपि ।
12. 200 अतिरिक्त प्रतियां ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर.नाकरा)
निदेशक